न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं075/2019

तारीख रजू:– 26.06.2019

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

1.	रूपसिंह	पिसरान रामधन	जाति माली निवासी मुकन्दपुरा
2.	भगवानसिंह		
3.	लालाराम		
4.	छोटे		तहसील हिण्डौन जिला करौली
5.	सुपीता	पुत्रियॉ रामधन	
6.	सरोज		
7.	सरवती बेबा रामधन		——————— सायलान

बनाम

1.	राधेश्याम पुत्र बाबू		जाति माली निवासी मुकन्दपुरा
2.	राकेश	पिसरान रामेश्वर	
3.	अशोक		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4.	रामकेश		
5.	विष्णु		——————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायलान
2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 28-6-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0, 567 रकबा 0.14 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। सायलान उक्त भूमि को काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। गैरसायलान का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। इसलिए सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायलान झगडालू, मुठमर्द व खूंखार किस्म के व्यक्ति हैं तथा सायलान गरीब व सीधे साधे व्यक्ति हैं तथा सायलान के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान ने सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 566 में रास्ते के लगवा तीन वर्ष पूर्व जबरन 4 गैह दुपल्ला पाटौर डाल दी व दो कमरों का निर्माण कर लिया तब सायलान ने कहा कि भाईयों तुमने हमारी खातेदारी की भूमि में दौपल्ला पाटौर पोश व कमरे क्यों बनाये है तब गैरसायल राधेश्याम ने कहा कि मैंने उक्त भूमि तुम्हारे पिता से खरीदी है तब सायलान ने विश्वास कर लिया तथा गैरसायलान के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 20.06.19 को सुबह 9 बजे का है कि गैरसायलान, सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0 में रास्ते को दबाते हुए सायलान के खेत में नींव खोदना चालू कर दिया तब सायलान ने कहा कि भाईयो आप हमारी खातेदारी की भूमि में नींव क्यों खोद रहे हो तब गैरसायलान ने सायलान से कहा कि मैं मेरी मर्जी होगी वहॉ करूंगा तथा तुम्हारी भूमि पर निर्माण करूंगा तब सायलान ने गांव के पंचों को एकत्रित किया तब गैरसायलान ने सायलान की भूमि में जबरन नींव खोदने का कारण पूछा तो गैरसायलान ने कहा कि हमारी मर्जी होगी वह करेंगे तथा गैरसायलान द्वारा पूर्व में खरीद की गई भूमि के भी कोई कागजात नहीं बताए तथा सायलान से जबरन पंचों के सामने सायलान की भूमि पर जबरन निर्माण करने की धमकी दी।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ने जबरन सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण कर लिया तो पक्षकारान में आपस में मुकदमेबाजी बढेगी तथा पक्षकारान बर्बाद हो जावेंगे तथा सायलान को अपना गांव छोडकर बाहर जाना पडेगा जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबन्द नंहीं किये जाने में सायलान को अत्यधिक क्षति है। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू पूरी तरह से साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0, 567 रकबा 0.14 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत मदाखलत न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा सायलान की भूमि में जबरन नींव खोदकर निर्माण नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे तथा हक तलफी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 अनुसार सायलान द्वारा निराधार तथ्यों पर दावा पेश करना स्वीकार है, परन्तु उक्त दावा कतई गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर

बिना किसी अधिकार व औचित्य के पेश होने से सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस प्रकार बयान किया गया,गलत है और स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0,567 रकबा 0.14 है0कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है, परन्तु उक्त भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की व उपयोग उपभोग की नहीं है। प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में साबित न होकर गैरसायलान नं01 ता 5 के पक्ष में बखूबी साबित है। विशेष कथन उज्रात मजीद में बयान किया जा रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायलान झगडालू, मुठमर्द व खूंखर किस्म के व्यक्ति हों तथा सायलान का यह कथन भी गलत है कि सायलान ने गरीब व सीधे सोद व्यक्तिय हों तथा उनके सीधेपन का फायदा उठाकर गैरसायलान ने भूमि खसरा नम्बर 566 में रास्ते के सहारे तीन वर्ष पूर्व इस मद में वर्णित निर्माणात कराये हो, बल्कि सही बात यह है कि सायलान के पिता रामधन पुत्र नंगू माली ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैरसायल राधेश्यामक` पिता व गैरसायल सं02 लगायत 5 के बाबा बाबू पुत्र हटीला को भूमि खसरा नम्बर 566 में से रास्ते के सहारे 5 बिस्वा भूमि अलमशहूर कुआ के खेत में से बिल एवज 15000/–रूपया में मिति आषाढ सुदी 7 सम्बत् 2049 तदनुसार दिनांक 07.07.92 को विक्रय कर, चूकती धनराशि प्राप्त कर विक्रीत भूमि पर बाबू पुत्र हटीला का कब्जा कराया है एवं विक्रेता रामधन ने गैरसायल सं01 के पिता व गैरसायल सं02 ता 5 के बाबा बाबू की बही में बेचाननामा –लिखावट लिखिया धर्मसिंह से लिखवाकर सायलान के पिता रामधन ने अपने हस्ताक्षर कर एवं गवाही गवाहान चिरमोल, कुन्दन व किशोरी की कराई है कि जिस खरीदशुदा भूमि में गैरसायलान के पिता व बाब बाबू पुत्र हटीला ने सन् 1992–93 में ही 6 गैह दुपल्ला पाटौर पोश व 4 गैह मुण्ड पाटौर पोश एवं दो कमरे, एक हॉल मय बरामदे का निर्माण

कराया है एवं शेष भूमि में गैरसायलान समय समय पर आवश्यकता व सुविधानुसार अन्य कच्चा–पक्का निर्माण कराकर परिसर को अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। मौजूदा में गेरसायलान द्वारा पूर्व में 105 x 67 फुट नाप में कराई गई दासेबन्दी पर पुख्ता मकानियत का निर्माण कराये जाने के दौरान सायलान ने लालच के वशीभूत होकर बदयान्ति पूर्वक यह प्रार्थना पत्र दायर किया है कि जो खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 कतई गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 20.06.2019 को सुबह 9 बजे या किसी भी दिन किसी भी समय इस मद में वर्णित कोई वातावरण/ वार्तालाप सायलान व गैरसायलान के मध्य नहीं हुआ है और ना ही गैरसायलान द्वारा किसी भूमि में कोई नवीन नींव खोदना चालू किया है और ना ही उक्त दिनांक को किसी भी कार्य के लिए सायलान द्वारा गांव के किन्हीं पंच पटैल एकत्रितं किये हैं। सायलान ने सत्यता स्वरूप इस मद में नींव खोदने की जगह उसकी नाप व किन्हीं पंच पटेलों का नाम भी दर्ज नहीं किया है कि जिससे उनके द्वारा इस मद में दर्ज कथन अपने आप में ही झूंठे व बनावटी साबित हो रहे हैं। गैरसायलान द्वारा सायलान को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। सायलान ने बिना किसी अधिकार व औचित्य के बदनियती से लालच के वशीभूत होकर गैरसायलान को तंग व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र दायर किया है जो क़ानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7, गलत हैं और स्वीकार नहीं है। सायलान विरूद्ध गैरसायलान अस्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी या कोई अन्य प्रतिकार पाने का अधिकारी नहीं है और ना ही गैरसायलान के किसी कार्य से सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुॅंचं रहीं है और ना ही पहुॅंचने की सम्भावना है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 गलत हैं और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से

बमुकावले सायलान उन्हें अत्यधिक अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी दृव्य में भी सम्भव नहीं हो सकेगी। गैरसायलान को पाबन्द न किये जाने से सायलान को कोई क्षति नहीं होगी।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं07, गलत हैं और स्वीकार नहीं है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में किसी भी प्रकार से साबित नहीं है, बल्कि गैरसायल सं0 1 ता 5 के पक्ष में बखूबी साबित है।

विशेष कथन :— जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0 में से रास्ते के सहारे स्थित 5 बिस्वा भूमि को गैरसायल सं01 के पिता बाबू व गैरसायल सं02 ता 5 के बाब बाबू पुत्र हटीला ने सायलान के पिता रामधन से बिल एवज 15000/—रूपया में मिति आषाढ सुदी 7 सम्बत् 2049 तदनुसार दिनांक 07.07.92 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है कि जिसके बेचाननामा की लिखापढी सायलान के पिता रामधन ने गैरसायल सं01 राधेश्याम के पिता व गैरसायल सं02 ता 5 के बाबा, बाबू की बही में लिखिया धर्मसिंह से लिखवाकर लिखावट सायलान के पिता रामधन व खरीददार बाबू ने हस्ताक्षर किये हैं एवं गवाही गवाहान चिरमोल, कुन्दन ने अपने हस्ताक्षर व किशोरी ने बांये अंगूठे की निशानी की है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि आबादी की भूमि है और सन् 1992 से ही आबादी के प्रयोग में आ रही है। उक्त भूमि में गैरसायलान व उनके पिताओं ने सायलान व सायलान के पिता रामधन की जानकारी में कच्चे पक्के निर्माणात कराये हैं एवं आवश्यकतानुसार निर्माणात कराकर अपनी रिहायशी उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि आबादी के प्रयोग की भूमि होने व रिहायशी उपयोग उपभोग में आने के कारण सायलान ने ग्राम पंचायत जटनंगला को पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के तहत रजिस्टर्ड नोटिस म्यादी दो माह देकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है कि

जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायल नं02 ता 5 की बहिन श्रीमति कमलेश व श्रीमति विमलेश एवं माता श्रीमति उगन्ती देवी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है कि जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित एवरमेंट अनुसार प्रार्थना पत्र सायलान राजस्व न्यायालय के काबिल समाअत नहीं होकर सिविल न्यायालय के काबिल समाअत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि दावा सायलान निश्चित न्यायशुल्क पर सक्षम न्यायालय में अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि दावा सायलान दो प्रतियों में प्रत्येक पेज पर सायलान द्वारा हस्ताक्षरित कर विधि अनुसार सत्यापित कर शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र सायलान आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत काबिज रिजेक्शन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि विवादित सम्पत्ति पर सायलान का कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073 –76, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश की है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील

गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0 किस्म चाही–1, 567 रकबा 0.14 है0 किस्म चाही–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी छोटे पुत्र रामधन हिस्सा 1/9, भगवानसिंह पुत्र रामधन हिस्सा 1/9, रूपसिंह पुत्र रामधन हिस्सा 1/3, लालाराम पुत्र रामधन हिस्सा 1/9, सुपीता पुत्री रामधन हिस्सा 1/9, सरोज पुत्री रामधन हिस्सा 1/9, सरवती पत्नि रामधन हि0 1/9 जाति माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0 किस्म चाही–1, 567 रकबा 0.14 है0 किस्म चाही–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन के सायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। गैरसायलान ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि सायलान के पिता रामधन ने उक्त विवादित आराजीयात को गैरसायल सं01 के पिता एवं गैरसायल सं0 2 ता 5 के बाबा, बाबू पुत्र हटीला जाति माली को सन् 1992 में खसरा नम्बर 566 में रास्ता के सहारे 5 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया गया हो। बल्कि सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0 किस्म चाही–1, 567 रकबा 0.14 है0 किस्म चाही–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन के सायलान खातेदार काश्तकार हैं। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। बल्कि गैरसायलान के द्वारा सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से

कब्जा कर उसमें पुख्ता निर्माण किया गया है। जो अवैधानिक है। सायलान का दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में नजर आता है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान के हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। उक्त विवेचन के आधार पर पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 566 रकबा 0.24 है0 किस्म चाही–1, 567 रकबा 0.14 है0 किस्म चाही–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत मदाखलत न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा सायलान की भूमि में जबरन नींव खोदकर निर्माण नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे तथा हक तलफी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-6-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली